प्रारुप - II (24)

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0 13.00 से कोठार गांव (स्टेज प्रथम) मोटर मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

प्रस्तावित संरेक्षण की लम्बाई– 3.600 किमी0

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उत्पादन एवं रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी से गरीबी निवारण करने के उददेश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोडने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः– 5610/पी3/14(Hab)/यु आर डी ए/18 के द्वारा उपरोक्त मो0 मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।
जनपद टिहरी गढवाल विकास खण्ड भिलगंना के अन्तर्गत घनसाली–घुत्तु मो0 मार्ग ग्राम कोठार जनसंख्या 405 संयोजित करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण, डीपीआर गठन तथा मार्ग के समरेक्षण में पडने वाली भूमि हस्तान्तण प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त है। मार्ग निर्माण हेतु दो समरेखण पर सर्वे कार्य किया गया, जिसमें समरेखण नम्बर प्रथम को तकनीकी रूप से उचित पाया गया । यह समरेखण घनसाली–धुत्तु मो0 मार्ग के किमी0 13 से प्रारम्भ होकर ग्राम कोठार तक पंहुचता है। जिसमें 8 हेयर पिन बैण्ड पडते है तथा ल0 3.6 किमी0 प्राप्त होती है। इस समरेखण से भिलगंना, घनसाली–धुत्तु मो0 मार्ग तथा इनके विधालय, सामुदायिक भवन आदि को जोडा जायेगा। ग्राम भिलगंना, घनसाली–धुत्तु मो0 मार्ग में उन्नत कृषि भूमि होने के कारण ग्रामीणों को प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन एवं दुध उत्पादन है। मार्ग के निर्माण से ग्रामीण अपनी फसल एवं दुध उत्पादित पदार्थों को नजदीकी बाजार में बेचा जा सकेगा जिससे स्थायी रोजगार उत्पन्न होगा तथा देश की उत्पादकता में वृद्वि होगी। इस मार्ग के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में पर्यटन के अवसर पैदा होंगे। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण होने से ग्रामीणों को स्वास्थ से सम्बन्धि सुविधायें आसानी से प्राप्त होगें एवं ग्रामीण विकास में तीव्रता आयेगी।
इस समरेखण के अनुसार मार्ग निर्माण में आ भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है–

(1)	आरक्षित वन भूमि	:– 0.12 हे0 + **0.892** हैक्टेयर = 1.0125 हे0	1.8177 हे0
(2)	सिविल बंजर भूमि	:– 0.018 हे0 + 0.787 हैक्टेयर = 0.8055 हे0	
(3)	नाप भूमि	:– 0.072 हे0 + 1.305 हैक्टेयर = 1.377 हे0	
	कुल भूमि	:– **2.984 हैक्टेयर** + 0.210 = 3.195 हे0	

मोटर मार्ग से 875 मी0 लम्बाई तथा चौडाई 9 मी0, सिविल भूमि 1275 मी0 लम्बाई व 7 मी0 चौडाई में आरक्षित वन भूमि अंकित की गयी है, जिसमें 1450 मी0 लम्बाई व 9 मी0 चौडाई में नाप भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 3600 मी0 है। उक्त भूमि में प्रभावित हो रही वृक्षों के प्रजातियों की सूची माप सहित संलग्न है।

अतः उपरोक्त वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को भूमि हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना रेंज – घनसाली

Poonam J.E

सहायक अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0–III, लो0नि0वि0 टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0–III, लो0नि0वि0 टिहरी